कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक सी–92 /कृषि निवेश/बी–294 दिनांक लखनऊ मार्च , 15 – 2017

1. समस्त सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ०प्र० ।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
   जिला सहकारी बैंक लि०।
3. समस्त जिला प्रबन्धक
   पी.सी.एफ. उ०प्र० ।

विषय–ऑफ सीजन कैश डिस्काउन्ट/केडिट पर इफको फास्फेटिक उर्वरकों की समितियों को आपूर्ति के सम्बन्ध में ।

राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको लखनऊ के पत्रांक : 5342–57 दिनांक 23.02.2017 एंव तद्क्रम में पत्रांक 5539–54 दिनांक 01.03.2017 द्वारा आफ सीजन में दिनांक 31.01.2017 से 31.08.2017 की अवधि में समितियों द्वारा फास्फेटिक उर्वरक (डीएपी/एनपीके/एनपीएस) क्रय करने पर समानुपातिक कैश डिस्काउन्ट देने तथा दिनांक 31.08.2017 तक केडिट पीरिएड पर आपूर्ति करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। माह फरवरी 2017 से माह अगस्त 2017 तक उर्वरक क्रय कर 31.08.2017 से पूर्व भुगतान करने पर पाक्षिक आधार पर कैश डिस्काउन्ट की धनराशि का विवरण निम्नवत है :–

अनुमन्य कैश डिस्काउन्ट (भुगतान तिथि के अनुसार) रू0 प्रति मै0टन

फरवरी प्रथम पक्ष	फरवरी द्वितीय पक्ष	मार्च प्रथम पक्ष	मार्च द्वितीय पक्ष	अप्रैल प्रथम पक्ष	अप्रैल द्वितीय पक्ष
910.00	845.00	780.00	715.00	650.00	585.00
मई प्रथम पक्ष	मई द्वितीय पक्ष	जून प्रथम पक्ष	जून द्वितीय पक्ष	जुलाई प्रथम पक्ष	जुलाई द्वितीय पक्ष
520.00	455.00	390.00	325.00	260.00	195.00
अगस्त प्रथम पक्ष	अगस्त द्वितीय पक्ष				
130.00	65.00				

अतः इफको के उक्त प्रस्ताव के क्रम में अधोलिखित शर्तो के अधीन कैश डिस्काउन्ट/31.08.2017 तक के केडिट पीरिएड पर उपर्युक्तानुसार फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति समितियों को की जायेगी :–

1. इफको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफओआर आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
2. दिनांक 31.01.2017 से 31.08.2017 के मध्य निर्गत रिलीज आर्डर के सापेक्ष ही डिस्काउन्ट की सुविधा अनुमन्य होगी। पैक्स को गुड फार पेमेन्ट के चेक अथवा जिला सहकारी बैंक की बैंक अथारिटी के साथ उपर्युक्त अवधि में बिकी किये गये संभार पर भुगतान दिनांक 31.08.2017 से पूर्व प्राप्त होने पर समानुपातिक पाक्षिक आधार पर कैश डिस्काउन्ट देय होगा।
3. डेफर्ड योजना पैक्स/उर्वरक बिकी केन्द्रों को आपूर्तित फॉस्फेटिक उर्वरक पर ही लागू होगी।

4. यह सुनिश्चित किया जाये कि रबी अभियान 2016-17 में बिक्री केन्द्रों पर अवशेष फास्फेटिक उर्वरक संभार एवं इस योजनान्तर्गत आपूर्तित फास्फेटिक उर्वरक को सम्मिलित करते हुए उतनी ही मात्रा की फास्फेटिक उर्वरक की आपूर्ति समितियों/बिक्री केन्द्रों को की जाये, जितनी मात्रा खरीफ 2017 में ही बिक्री होने की संभावना हो।
5. क्रेडिट पर क्रय करने वाली समितियों को दि0 31.08.2017 तक का क्रेडिट पीरियड अनुमन्य होगा। समितियों द्वारा 31.08.2017 का पोस्ट डेटेड गुडफार पेमेन्ट चेक अथवा जिला सहकारी बैंक द्वारा निर्गत बैंक अथारिटी के सापेक्ष उर्वरकों की आपूर्ति की जायेगी।
6. उर्वरकों के मूल्य में कमी होने पर समितियों/बिक्री केन्द्रों पर इस योजनान्तर्गत आपूर्तित अवशेष संभार पर अन्तर मूल्य की धनराशि की प्रतिपूर्ति इफको द्वारा की जायेगी। सेट / खराब उर्वरक को इफको द्वारा अपने व्यय पर वापस लिया जायेगा।
7. रैक प्वाईन्ट से उर्वरकों का प्रेषण जनपद बफर में किया जायेगा तदोपरान्त प्रथम आगत प्रथम निर्गत (FIFO) का पालन करते हुए बफर से बिक्री केन्द्रों को उर्वरकों का प्रेषण किया जायेगा।
8. जिन जनपदों में प्रीपोजीशनिंग योजना की फास्फेटिक उर्वरक बफर में अवशेष है, वहां पर प्रीपोजीशनिंग योजना की उर्वरक बफर में समाप्त होने पर ही डेफर्ड योजना की उर्वरक का प्रेषण समितियों/बिक्री केन्द्रों को किया जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ0प्र0
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-92/कृषि निवेश/बी-294 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. वरिष्ठ राज्य प्रबन्धक विपणन कृभको लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ0प्र0, मुख्यालय को वेब साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
9. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(धीरेन्द्र सिंह)
अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ0नि0)
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।